Y-170101/8/2022-Office of Finance and Aoccounts Officer-UD
2149692/2022/O/o FAO

वार्षिक लेखा

2011-2012

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-IV बी, प्रथम तल,
भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट: एचटीटीपी:\\एनसीआरपीबी.एनआईसी.ईन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2012 कि स्थिति के अनुसार वार्षिक लेखों की सूची

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	42-44
2.	तुलन पत्र	45
3.	आय तथा व्यय लेखा (योजना)	46
4.	आय तथा व्यय लेखा (गैर योजना)	47
5.	प्राप्ति तथा भुगतान लेखा	48-49
6.	अनुसूची 1-18	50-59
7.	31 मार्च, 2012 कि स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के एक भाग के रुप में और संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणीयाँ	60-64

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे के साथ संलग्न तुलनपत्र औरउसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखों/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रबंधन का दायित्व हैं । हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा पर मत व्यक्त करना है ।

2 इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ट) के वर्गीकरण, श्रेष्ठ गणना प्रणालियों के साथ अनुरुपता, गणना मानकों और इनके प्रकटीकरण-मानदंडों आदि के संदर्भ में केवल लेखाप्रणाली विवेचनों (एकाउंटिंग ट्रीटमेंट)पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई टिप्पणियां हैं । विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता और निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, से संबंधित वित्तीय लेन-देनों पर लेखा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के जरिए अलग से दिखाई गई हैं।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में प्रायः स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार ही की है। इन मानको में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें कि यह वित्तीय विवरणों के गलत-बयानी से मुक्त होने के संबंध में तर्कसंगत रुप में आश्वस्त करे। किसी लेखा परीक्षा में राशियों के समर्थन में दस्तावेजों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल हैं । लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा नियमों का जायजा लेना और प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हमारे मत के औचित्य का उचित आधार है ।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम दर्ज करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुरुप हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए गए है ।

(ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, एनसीआरपीबी द्वारा एनसीआरपीबी 1985 की धारा 33 (i और ii) के तहत यथाअपेक्षित अनुसार बही खातों और अन्य संगत रिकार्डों को उपयुक्त रुप में रखा है जैसाकि हमारे द्वारा इनकी जांच से प्रतीत हुआ है ।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

(क) तुलन पत्र

(i) कोष/पूंजी निणि और देनदारियां

वर्तमान देनदारियां और प्रावधान(अनुसूची 6)

अन्य वर्तमान देनदारियां : 39.37लाख रु

उपर्युक्त में फरवरी/मार्च 2012 के दौरान मैसर्स दिल्ली इंटेग्रेटिड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के बिल शमिल नहीं हैं जोकि व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए । परामर्श शुल्क के रुप में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं । उपर्युक्त भुगतान के लिए, परामर्शदाता पुनर्विचार समिति/टास्क फोर्स की उप समिति द्वारा फरवरी/मार्च, 2012 में

हुई अपनी बैठकों में की गई संस्तुति के बावजूद लेखों में 366.21लाख रू0 की देनदारियों का प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरुप "अन्य चालू देयताओं" में 366.21 लाख की न्यूनता, आरआरटीएस के लिए प्राप्य अनुदान में 269.61 लाख रू0 की न्यूनता और 'निर्धारित /एन्डाउनमेट निधि' में 96.6 लाख रू0 की धनराशि बढती हो गई है।

(ii) परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 7)

वाहन: 15.31 लाख रु

उपर्युक्त राशि में मार्च,2012 में कार की खरीद के लिए लागत के अग्रिम के रूप में जारी 6.39 लाख रु की धनराशि शामिल है जिसकी डिलीवरी अप्रैल, 2012 में प्राप्त की गई। क्योंकि डिलीवरी 2012 में प्राप्त हुई इसलिए इसे अग्रिम के रूप मे दिखाया जाना चाहिए था।

इसके फलस्वरुप अचल संपत्ति में 6.39 लाख रु की धनराशि अधिशेष हो गई और इतनी ही ऋण और अग्रिम राशि न्यून रह गई।

(ख) सहायता अनुदान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2011-12 के दौरान 6135.62 करोड रू0 (5000.00 लाख योजना के अंतर्गत, 300 लाख रू0 गैर योजना के अंतर्गत और 835.65 लाख रू0 आर.आर.टी.एस अध्ययन के लिए) सहायता अनुदान राशि प्राप्त की है। 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार बोर्ड ने वर्ष के दौरान 6039.02 लाख रू0 की राशि का उपयोग किया है और उसमें से खर्च नहीं की गई 96.60 लाख राशि बची है।

(ग) प्रबंधन पत्र

कमियां,जिन्हें अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नही दर्शाया गया है, उपचारात्मक आय/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की जानकारी में ला दी गई हैं।

(v) पिछले पैराग्राफ में दी गई हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा /प्राप्तियां और भुगतान लेखे, लेखा बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारी राय में ओर हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाप्रणाली नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरण तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नक के रुप में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाप्रणाली नियमों के अनुरुप सही और निष्पक्ष खाका प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहॉ तक इसका संबंध 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यों के संबंध में तुलनपत्र से है ; और

(ख) जहॉ तक इसका संबंध इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष संबंधी आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से और उनके लिए

ह0/-
(इला सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24 सितंबर 2012

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी पर्याप्तता:** इस वर्ष के दौरान एक चार्टर्ड एकांउटेंट की नियुक्ति करके बोर्ड में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली शुरु की गई है । वर्तमान में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ मे केवल एक लेखा परिक्षा परामर्शदाता तैनात है । लेखा परीक्षा को और अधिक विस्तार और कवरेज देने के लिए उक्त प्रकाष्ठ में कार्मिकों की संख्या बढा़ने की जरुरत है ।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी पर्याप्तता:** बहुत बडी संख्या में प्राप्तियों और भुगतानो को घ्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बोर्ड के आकार और गतिविधियों के अनुरुप नहीं है । वित्तीय मामलो पर प्रभावी नियंत्रण तथा रिकार्डो/सहायक रजिस्टरो आदि के रखरखाव के लिए पर्याप्त जनशक्ति और पर्यवेक्षण की जरुरत है ।

3. **अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच संबंधी प्रणाली**: अचल परिसंपत्तियों का रजिस्टर रखा जा रहा है पर उसमें इनकी प्राप्ति तारीख, पहचान संख्या, मूल लागत, स्थान आदि के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाया गया है । बैलेंस शीट में रि-ग्रुपिंग के बाद, बोर्ड द्वारा रखे गए अचल संपत्ति रजिस्टर से अचल परिसंपत्तियों के अथ शेष का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

4. **सामान सूची (इंवेटरी) की वास्तविक जांच-प्रणाली:**
सामान सूची (इंवेटरी) की वास्तविक जांच-प्रणाली पर्याप्त नहीं है ।

5. **सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता:**
वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार अविवादित सांविधिक देनदारियों से संबद्व 6 महीने से अधिक के कोई भुगतान बकाया नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रू0 मे)

कोष /पूँजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
एनसीआरपीबी निधि (कोष/पूँजी निधि)	1	**24539689739**	**23173841571**
विशेष आरक्षित	2	3111677300	2155600000
निर्धारित/एंडोमंट	3	9659524	0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	5000000000	5000000000
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	6000000000	6000000000
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	6	669759579	513632779
योग		**39330786142**	**36843074350**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	7	9530378	9759376
निर्धारित/एंडोमंट निधियों से निवेश		0	0
भविष्य निधि/एनपीएस पर निवेश	8	19023643	17277421
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	9	39302232121	36816037553
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गई अथवा समयोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		**39330786142**	**36843074350**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	19		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	20		

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजना)

(राशि रु0 में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/एंडोमंट निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों की बिक्री से आय		16200	9675
अर्जित व्याज	10	2976140184	2431477813
अन्य आय	11	3745219	52499796
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		0	0
योग (क)		**2979901603**	**2483987284**
व्यय			
स्थापना व्यय	12	3650385	4457621
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	8795431	9660485
अनुदान/इमदादों आदि पर व्यय		0	0
बाजार ऋण पर व्यय	14	980515102	873159544
अनुसूची 7 के अनुरुप मूल्य ह्रास		1223051	1428813
योग (ख)		**994183969**	**888706463**
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष(क-ख)		**1985717634**	**1595280821**
आयकर/फ्रिंज लाभकर का प्रावधान		0	0
आयकर/फ्रिंज लाभकर (वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2006-07) बट्टे खाते में		0	(1100956567)
एनसीआर सेल व्यय के लिए अतिरिक्त प्रावधान(वित्तीय वर्ष 2006-09) बट्टे खाते में		(2096576)	0
एनसीआर सेल व्यय के लिए प्रावधान		23653209	17864676
एनआई के मूल्यांकन शुल्कों के लिए प्रावधान		1154000	0
एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर वचनबद्ध प्रभारों के लिए प्रावधान		979915	0
एडीबी ऋण पर गारंटी शुल्क के लिए प्रावधान		47689200	0
केएफडब्ल्यू ऋण पर गारंटी शुल्क के लिए प्रावधान		81540000	0
बांड रिडम्सन रिजर्व में अंतरण		956077300	1585600000
आय और व्यय लेखा (गैर योजना) में अंतरण		10872418	8178493
उप योग		**1119869466**	**510686602**
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरण		865848168	1084594219
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	19		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	20		

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर योजना)

(राशि रू0 में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान		30000000	25000000
शुल्क और अभिदान		0	0
पीएफ और एनपीएस के निवेश से आय	15	1414197	934171
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित व्याज		0	0
अन्य आय	16	5996	10235
आय और व्यय लेखा (योजना) से अंतरण		10872418	8178493
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी		0	0
योग (क)		**42292611**	**34122899**
व्यय			
स्थापना व्यय	17	24402469	21104125
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	18	6027592	4114676
अनुदान/इमदादों आदि पर व्यय		**0**	**0**
योग (ख)		**30430061**	**25218801**
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष(क-ख)		**11862550**	**8904098**
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		1226961	1684859
संचित छुट्‌टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		2313843	2836922
पेंशन (वर्तमान)के लिए प्रावधान		1135446	2841895
पेंशन (सेवा निवृत्त) के लिए प्रावधान		7186300	1540422
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरण		0	0
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	19		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	20		

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु0 में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष				पूर्ववर्ती वर्ष	
	योग	योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना
i आरंभिक शेष						
क. हाथ मे रोकड	33022	33022	0	22766	22766	0
ख. बचत खाते में बैंक बैलेंस	5893378991	5893378991	0	540379016	540379016	0
ग. भविष्य निधि बचत खाते में शेष	2514973	0	2514973	8238270	0	8238270
घ. नई पेंशन योजना बचत खाते में शेष	655	0	655	471	0	471
उप योग	**5895927641**	**5893412013**	**2515628**	**548640523**	**540401782**	**8238741**
ii प्राप्त अनुदान						
क . शहरी विका मंत्रालय, भारत सरकार से	530000000	500000000	30000000	525000000	500000000	25000000
ख. शहरी विकास मंत्रालय से आरआरटीएस के अध्ययन के लिए	83561969	83561969	0	31412000	31412000	0
iii निवेश पर आय (भविष्य निधि / एनपीएस)						
क. बचत बैंक ब्याज	112709	0	112709	282436	0	282436
ख. भविष्य निधि जमा पर ब्याज	1234891	0	1234891	558139	0	558139
iv प्राप्त ब्याज						
क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	2236617070	2236617070	0	2245552810	2245552810	0
ख. बचत बैंक	112557787	112557787	0	56008357	56008357	0
ग. बैंक जमाओं पर	334169324	334169324	0	60094771	60094771	0
v अन्य आय						
क. रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	16200	16200	0	9675	9675	0
ख. पहचानपत्रों के गुम होने पर	0	0	0	200	0	200
ग. आरटीआई शुल्क	353	0	353	1318	0	1318
घ. समाचारपत्रों की बिक्री	0	0	0	1717	0	1717
ड. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान	0	0	0	0	0	0
च. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	1000	0	1000	0	0	0
छ. आयकर वापसी	51215315	51215315	0	1700015624	1700015624	0
ज. आयकर वापसी पर ब्याज	3324594	3324594	0	52499796	52499796	0
v i उधार ली गई धनराशि						
क. रा.रा.क्षे.यो.बो. कर योग्य बांड	0	0	0	5000000000	5000000000	0
ख. बैंको से अल्पावधि ऋण	0	0	0	0	0	0
v ii अन्य प्राप्तियां						
क. राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	5355499536	5355499536	0	4983284844	4983284844	0
ख. भुनाई गई सावधि जमा	6155600000	6155600000	0	3285000000	3285000000	0
ग. भविष्य निधि/एनपीएस निवेशों की परिपक्वता	10000000	0	10000000	2640000	0	2640000
घ. बयाना राशि/जमानत राशि	2000	0	2000	527500	0	527500
ड. स्टाफ को विविध अग्रिम	0	0	0	32050	0	32050
च. यात्रा अग्रिम	0	0	0	139486	0	139486
ज. छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	0	0	0	113070	0	113070
झ. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	0	0	0	3120	0	3120
ट. एलआईसी से प्राप्त /वसूल की गई जीआईएस धनराशि	0	0	0	45673	0	45673
ठ. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर्ज की कटौती	8116899	8116899	0	8955926	0	8955926
ड. राज्यों को दिए ऋण से अधिक प्राप्तियां	13500	13500	0	963064	0	963064
ढ. जीपीएफ निकासी /वापसी	300000	0	300000	0	0	0
ण. सेमिनार और प्रशिक्षण अग्रिम की वापसी	163065	163065	0	0	0	0
कुल	**20778433853**	**20734267272**	**44166581**	**18501782099**	**18454279659**	**47502440**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु0 में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना
i व्यय						
क. स्थापना व्यय (अनुसूची 12और 17 के अनुरुप)	37649843	18586127	19063716	31312627	11211733	20100894
ख. प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 13और18 के अनुरुप)	14561095	8706196	5854899	14254086	9644466	4609620
ग. बाजार पर व्यय (अनुसूची 14 के अनुरुप)	976833148	976833148	0	588700760	588700760	0
ii राज्य सरकारों/एजेंसियों को प्रदत्त ऋण	6136518500	6136518500	0	5987768000	5987768000	0
iii किए गए निवेश और जमा						
क . एफडीआर में निवेशित राशि	6000000000	6000000000	0	3000000000	3000000000	0
ख. भविष्य निधि/एनपीएस	10800000	0	10800000	10000000	0	10000000
ग. अन्य - बीआरआर	3111677300	3111677300	0	1870600000	1870600000	0
iv अचल परिसंपत्तियों परव्यय						
क. अचल परिसंपत्तियों की खरीद	985478	0	985478	164502	0	164502
v राजय सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणो की वापसी	0	0	0	1494152	1494152	0
vi ऋणों और अग्रिमों का भुगतान						
क. स्टाफ को विविध अग्रिम	419527	0	419527	219032	0	219032
ख. जीपीएफ से अग्रिम/आहरण	3308405	0	3308405	2334141	0	2334141
ग. यात्रा अग्रिम	294116	0	294116	159450	0	159450
घ. बैंकों से अल्प अवधि ऋण	0	0	0	1000000000	1000000000	0
ड. एलटीसी अग्रिम	199000	0	199000	0	0	0
च. पेट्राल अग्रिम	22000	0	22000	0	0	0
छ स्टाफ को अग्रिम	93750	93750	0	0	0	0
vii अन्य भुगतान						
क. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के बांडों का विमोचन	0	0	0	0	0	0
ख. बयाना राशि	7690	7690	0	750000	750000	0
ग. उधारकर्त्ता एजेंसियों/बैंको द्वाराटीडीएस की कटौती	13319838	13319838	0	20457266	20457266	0
घ. दिए गए अधिक ब्याज का निरसन	821924	821924	0	638011	638011	0
ड. जीआईएस निधि के लिए भुगतान	57764	0	57764	38524	0	38524
च. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	6855849	0	6855849	13173319	0	13173319
ज. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	161920	0	161920	231586	0	231586
झ. नई पेंशन योजना के लिए भुगतान	254433	0	254433	387432	0	387432
ट. आरआरटीएस के लिए भुगतान	68984379	68984379	0	63171570	63171570	0
ठ. केएफडब्ल्यू को प्रबंधन शुल्क	16566875	16566875	0	0	0	0
ड. टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जमानत राशि का भुगतान	6000	0	6000	0	0	0
ढ. प्रशिक्षण तथा सेमिनार अग्रिम	197865	197865	0	0	0	0
v iii इति शेष						
क. हाथ में रोकड (अग्रदाय सहित)	30846	30846	0	33022	33022	0
ख. बचत खाते में बैंक बैलेंस	4374411055	4374411055	0	5893378991	5893378991	0
ग. जीपीएफ बचत खाते में बैंक बैलेंस	3394573	0	3394573	2514973	0	2514973
घ. एनपीएस बचत खाते में बैंक बैलेंस	680	0	680	655	0	655
कुल	20778433853	20726755493	51678360	18501782099	18447847971	53934128

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के शुरु में शेष	**23173841571**	**21589247352**
जोडें : दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान	0	0
जोडें : शहरी विकास मंत्रालय से अंशदनन	500000000	500000000
जोडें : आय तथा व्यय लेखा (योजना) से अंतरित	865848168	1084594219
जोडें : आय तथा व्यय लेखा (गैर योजना) से अंतरित	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**24539689739**	**23173841571**

अनुसूची-II

(राशि रु0 में)

विशेष आरक्षित	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बांड रिडम्सन रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	2155600000	570000000
वर्ष के दौरान जमा	956077300	1585600000
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**3111677300**	**2155600000**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

निर्धारित/एंडोमेंट निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस) गलियारों के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुबंध		
क. वर्ष के शुरु में शेष	0	26841504
ख. जोडे :वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	83561969	31412000
उप-योग	**83561969**	**58253504**
ग. आरआरटीएस अध्ययन हेतु परामर्शदाताओं को अदा किया गय शुल्क	73902445	58253504
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क + ख - ग)	**9659524**	**0**

अनुसूची-IV

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सुरक्षित ऋण तथा उधार		
निजी स्थापन बांड		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-I	5000000000	5000000000
योग	**5000000000**	**5000000000**

अनुसूची-V

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
असुरक्षित ऋण तथा उधार		
निजी स्थापन बांड		
क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड 2018	2000000000	2000000000
ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-I	2651000000	2651000000
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-II	1349000000	1349000000
योग	**6000000000**	**6000000000**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-VI

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सांविधिक देयताएं		
1. सामान्य भविष्य निधि	17998659	16316979
2. नई पेंशन योजना निधि	0	0
3. जीआईएस निधि	2145	33569
4. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	5120	13120
5. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से टीडीएस की कटौती	2630856	87073
6. अति देय	205000	205000
उप योग	**20841780**	**16655741**
उधार पर ब्याज जमा परंतु देय नहीं		
1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड 2018	29442623	29031233
2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-I	39209379	39209379
3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-II	18927394	18927394
4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-I	288936986	285369863
उप योग	**376516382**	**372537869**
अन्य चालू देयताएं		
1 देय खर्चे	2940930	2447501
2 बयाना	453965	459655
3 राज्य सरकारों से ऋणों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियां ।	542602	855658
उप योग	**3937497**	**3762814**
प्रावधान :		
1 कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के लिए		
क. ग्रेच्युटी	10061842	9273899
ख. पेंशन (वर्तमान)	27909503	26774057
ग. पेंशन (सेवा निवृत्त)	18640145	14935454
घ. संचित छुट्टी नकदीकरण	18960606	16921695
उप योग	**75572096**	**67905105**
2 देय रा.रा.क्षे. प्रकोष्ठ वय		
क. 31.03.09 तक निवल प्रावधान	13325224	23202474
ख. 2009-10 के लिए प्रावधान	6685600	11704100
ग. 2010-11 के लिए प्रावधान	17864676	17864676
घ. 2011-12 के लिए प्रावधान	23653209	0
उप योग	**61528709**	**52771250**
3 अन्य प्रावधान		
क. एनआईए को मूल्यांकन शुल्क	1154000	0
ख. एडीबी /केएफडब्ल्यू ऋणो पर वचनबद्धता प्रभाग	979915	0
ग. एडीबी ऋणों पर गारंटी शुल्क	47689200	0
घ. केएफडब्ल्यू ऋणो पर गारंटी शुल्क	81540000	0
उप योग	**131363115**	**0**
कुल योग	**669759579**	**513632779**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-VII

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 2011-12 के लिए अचल संपत्तियां

(राशि रु0 में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
अचल संपत्तियां	1.04.2011 के शुरु के अनुसार लागत/मूल्यांकन	3.09.2011 तक संवर्धन	3.09.2011 के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2012 को समाप्त वर्ष में लागत /मूल्यांकन	वर्ष के शुरु के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल योग	वर्तमान वर्ष की समाप्ति यानी 31.03.12 के अनुसार	विगत वर्ष की समाप्ति यानी 31.03.11 के अनुसार
कार्यालय स्थान - आईएचसी	7784593.00	0.00	0.00	0.00	7784593.0	778459	0.00	0.00	778459.00	7006134.00	7784593.00
वाहन	745912.39	0.00	944467.00	0.00	1690379.39	111886.86	47924.00	0.00	159810.86	1530568.53	745912.39
फर्नीचर/फिक्सचर	479810.29	0.00	0.00	0.00	479810.29	48104.40	0.00	0.00	48104.40	431705.89	479810.29
कार्यालय उपकरण	517113.21	0.00	0.00	0.00	517113.21	77567.01	22911.00	0.00	100478.01	416635.20	517113.21
कंप्यूटर/ पेरीफेरीयल्स	176051.88	0.00	34387.00	0.00	210438.88	105631.13	10316.00	0.00	115947.13	94491.75	176051.88
विद्युत स्थापनाएं	4725.54	0.00	0.00	0.00	4725.54	472.56	0.00	0.00	472.56	4252.98	4725.54
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	8701.90	0.00	15199.00	0.00	23900.90	6037.74	7599.50	0.00	13637.24	10263.66	8701.90
अन्य अचल परिसंपत्तियां	42468.03	0.00	0.00	0.00	42468.03	6141.38	0.00	0.00	6141.38	36326.65	42468.03
कुल योग	9759376.24	0.00	994053.00	0.00	10753429.24	1134300.08	88750.50	0.00	1223050.58	9530378.66	9759376.24

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-VIII

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

निवेश-भविष्य निधि/एनपीएस क. भविष्य निधि निवेश	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1 सरकारी प्रतिभूतियां	3411385	3411385
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	10800000	10000000
3 शेयर	0	0
4 डिबेंचर्स और बांड	1000000	1000000
5 सब्सिडी और संयुक्त उद्यम	0	0
6 अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	417005	350408
सेंविंग बैंक में जमा राशि	3394573	2514973
उप-योग	**19022963**	**17276766**
ख. नई पेंशन स्कीम		
सेंविंग बैंक में जमा राशि - एसबीआई	680	655
उप-योग	**680**	**655**
कुल योग (क + ख)	**19023643**	**17277421**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-IX

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि क. वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1 रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशनका स्टाक	287619	296642
2 लेखन सामग्री का स्टाक	172184	176611
3 विविध देनदार		
क) 6 माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	98361	98361
ख) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमा जमानत)	26648	20648
उप-योग	125009	119009
कुल (क)		
4 हाथ में नगद शेष	30846	33022
5 बैंक बैलेस		
अनुसूचित बैंको के पास		
- बचत खाते	4374411055	5893378991
- बीबीआर की एफडीआर	3111677300	2155600000
- एफडीआर- अन्य	2000000000	0
उप-योग	9486088355	8048978991
कुल (क)	9486704013	8049604275
ग. ऋण, अग्रिम और परिसंपत्तियां		
1 ऋण		
क) स्टाफ को अग्रिम	539911	714841
ख) अन्य अग्रिम		
i यात्रा अग्रिम	62000	56500
ii एलटीसी अग्रिम	0	0
iii पेट्रोल अग्रिम	200	4400
iv विविध अग्रिम	1100	2100
उप-योग	63300	63000
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियां	28748068766	27966289073
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क. पूर्व प्रदत्त व्यय	0	0
ख. वसूली योग्य अग्रिम आय कर, एफबीटी और टीडीएस (कर का निवल प्रावधान)	89760082	120197499
ग. आरआरटीएस के लिए प्राप्ति योग्य अनुदान	0	4918066
घ. केएफडब्लयू को प्रबंधन शुल्क	16987500	0
ङ. सेमिनार अग्रिम	34800	0
उप- योग	106782382	125115565
3. जमा आय		
क एफडीआर पर जमा ब्याज पर देय नहीं	58326291	29909383
ख. ऋण पर प्राप्य ब्याज	876442706	631842820
ग. स्टाफ ऋण पर जमा ब्याज	1541336	1486061
घ. बचत खाते में जमा ब्याज	23763416	11012535
उप- योग	960073749	674250799
कुल (ख)	29815528108	28766433278
कुल (क + ख)	39302232121	36816037553

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-X

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क अनुसूचित बैंकों के पास	367407875	80548059
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग. अन्य संस्थानों के पास	0	0
घ. अन्य	0	0
2. बचत खातों पर		
क अनुसूचित बैंकों के पास (ऑटो स्वैप एफडीआर समेत)	125308668	67020892
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग. डाकघर बचत खाते	0	0
घ. अन्य	0	0
3. ऋण पर		
क राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वियन एजेंसियों को ऋण पर ब्याज	2481690110	2283797176
ख. राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वियन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरुप ब्याज	1667895	24762
ग. कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज	65636	86924
कुल	2976140184	2431477813

अनुसूची-XI

(राशि रु0 में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क केएफडब्ल्यू से वापसी योग्य प्रबंधन शुंल्क की विनिमय दरों में अंतर	420625	0
ख. आयकर वापसी पर प्राप्त ब्याज	3324594	52499796
कुल	**3745219**	**52499796**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-XII

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

स्थापना व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क वेतन और मजदूरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	2786764	2936968
ख. अन्य - एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय	863621	1520653
कुल	**3650385**	**4457621**

अनुसूची-XIII

(राशि रु0 में)

अन्य प्रशासनिक व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	9023	5838
ख. अध्ययन और सर्वेक्षण	3764199	5863261
ग. विज्ञापन और प्रचार	359312	755050
घ. बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	509744	72726
ड. परियोजना मूल्यांकन शुल्क	1083146	1113060
च. उपक्षेत्रीय (एनसीआर) योजनाएं तैयार करने का	2654065	1395800
छ संगोष्ठी और प्रशिक्षण	415942	454750
ज. एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों के लिए टैक्सी व्यय की प्रतिपूर्ति	0	0
कुल	**8795431**	**9660485**

अनुसूची-XIV

(राशि रु0 में)

उधार पर हुआ व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. बांडों पर ब्याज	973671099	824629563
ख. लिस्टिंग शुल्क	217181	217181
ग. रेटिंग एजेंसी प्रभाग	0	335496
घ. रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार	35744	44201
ड. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर योग्य बांड्स पर कारपोरेट एक्शन शुल्क/कस्टोडियल शुल्क	0	2206
च. अरेंजर शुल्क	0	4963500
छ. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के बांड्स आवेदन पर ब्याज	0	14284661
ज. ट्रस्टीशिप फीस	60000	55000
झ. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर योग्य बांड्स 2019 पर स्टैम्प ड्यूटी	0	0
ट. रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस	2316896	1204108
ठ. एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	110300	110300
ड. बैंकों से अल्पावधि ऋणों पर ब्याज	0	23813323
ढ. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर योग्य बांड्स 2020 पर स्टैम्प ड्यूटी	0	3500005
ण. एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर प्रतिबद्धता शुल्क	4101712	0
त. सेवा कर /त्वरित प्रभार	2170	0
कुल	980515102	873159544

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-XV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

भविष्य निधि निवेश पर आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क भविष्य निधि निवेश पर ब्याज	1301494	651735
ख. भविष्य निधि बचत खातों पर ब्याज	112684	282252
ग. एनपीएस निवेशों पर ब्याज	0	0
घ. एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	19	184
कुल	**1414197**	**934171**

अनुसूची-XVI

(राशि रु0 में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	1000	0
2. स्टॉफ कार के उपयोग हेतु वसूली	4643	7000
3. पुराने समाचारपत्रों की बिक्री	0	1717
4. आरटीआई शुल्क	353	1318
5. पहचानपत्र खोने पर	0	200
कुल	**5996**	**10235**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-xvii

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2012 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन (मूल तथा मंहगाई भत्ता)	10269805	9761320
भत्ते और बोनस	12232134	9387592
एनपीएस में अंशदान	272193	218519
सेवा निवृत्ति और अंतिम लाभ	0	0
अन्य		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	178172	326318
भविष्य निधि खाते पर ब्याज	1339465	1135405
एनपीएस खाते पर ब्याज	0	0
भर्ती व्यय	21719	84290
संपदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क	26523	88794
समाचारपत्र और आवधिक पत्रिकाओं	62458	52942
जमा से संबद्ध बीमा योजना	0	48945
कुल	24402469	21104125

अनुसूची-xviii

(राशि रु0 में)

प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभाग	317699	45274
हाउस कीपिंग	954678	692256
मरम्मत और रखरखाव	189511	105475
किराया, दर और कर	1242210	901693
वाहनों के चालन और रखरखाव पर	437147	346742
डाक , टेलीफोन और संचार प्रभाग	512737	491751
प्रिंटिंग और लेखन सामग्री	304038	139565
यात्रा तथा वाहन व्यय	983175	521095
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	80750	79938
बैठकों पर व्यय	235282	0
कानूनी शुल्क पर व्यय	166500	180000
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0	0
आतिथ्य खर्च	131337	158464
व्यावसायिक शुल्क	367186	375499
विज्ञापन और प्रचार	30346	0
अन्य	74996	76924
कुल	6027592	4114676

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 19 और 20

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रुप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां ।

1. **लेखा प्रणाली कन्वेन्शन**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत रुढि और लेखा प्रणाली के प्रोद्भवन तरीके के आधार पर तैयार किए जाते हैं जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।

2 **लेखों का नया फार्मेट और नजदीकी रुपए तक आंकडों को पूर्णांकित करना :**

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं । वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकडों को नजदीकी रुपयों तक पूर्णांकित किया गया है । आय-व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में पिछले वर्ष के आंकडे जहॉ आवश्यक थे, पुन: समूहित किए गए हैं ।

3 **आय मान्यता :**

सभी आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी गई है ।

4 **अचल परिसंपत्ति**

(क) अचल परिसंपत्तियां मूल्यह्रास का प्रभार घटाने के पश्चात् ह्रासित मूल्य पर बताई गई है ।

(ख) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू डी वी तरीके से प्रभारित किया गया है । मूल्यह्रास का चार्ट परिसंपत्तियों को ब्लाक के बजाए प्रत्येक परिसंपत्ति को अलग दर्शाते हुए तैयार किया गया है । मूल्यह्रास आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है ।

5 **व्यय की मान्यता**

एलटीसी के भुगतान जिसे नकद आधार पर लिया जाता है, को छोडकर सभी व्ययों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

6 **सेवा निवृत्ति लाभ**

(क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों के संबंध में सेवा निवृत्ति लाभ अर्थात् छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के अनुसार, वर्ष के लिए बोर्ड के आय और व्यय लेखों (गैर योजना) तथा तुलन पत्र में किए गए है । वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से तैयार किए जा रहे हैं और तदनुसार प्रति वर्ष अपेक्षित निवल राशि आय-व्यय लेखा (योजना) से आय-व्यय लेखा (गैर योजना) में अंतरित की जाती है ।

(ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है । संगत वर्ष में सामान्य भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियॉ राजस्व से प्रभारित की गई है और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई है ।

(ग) **नई पेंशन योजना :**

सरकार ने 01.01.20104 से केन्द्र सरकार की सेवा में नए भर्ती होने वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरु की है । इसके तहत, कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । तदनुसार

नई पेंशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.20104 से हुई है । व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 17.08.2009 के का0ज्ञा0 द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रुप से नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0, सेंटर रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुंबई में पंजीकृत किया जाए । इसके अनुपालन में सितंबर, 2009 में नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 में आवश्यक पंजीकरण कराया गया है । नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार एनसीपीबी की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 को अंतरित की गई हैं । बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 को भेज रहा है । बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 द्वारा किया जा रहा है ।

(घ) **समूह बीमा देनदारियां**

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एलआईसी के साथ समूह बीमा योजना नामक एक नई पालिसी शुरु की है और इसके प्रोदभूत होते ही ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उददेश्य से एलआईसी को 6,91,873 रु0 अंतरित किए । बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियां कर रहा है और उसे प्रतिमाह एलआईसी को भेज रहा है । कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एलआईसी को ब्याज सहित बचत लाभों तथा बीमा कवर,जहॉ भी लागू हो, के लिए भेजा जाता है ।

7 **एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन**

बेची गई और मानार्थ प्रति के रुप में निःशुल्क वितरित एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों की लागत आय और व्यय लेखा (योजना) खर्च में लिखी जाती हैं और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टाक का लागत-मूल्य के रुप के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है ।

8 **योजना और गैर योजना लेन देन**

प्रत्येक योजना और गैर योजना लेन देन के लिए, अलग से प्राप्तियां और भुगतान लेखा तथा आय - व्यय विवरण तैयार किया जाता है ।

9 **अध्ययन और सर्वेक्षण**

अध्ययन और सर्वेक्षणोंपर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययनों व्ययों को छोडकर) आय-व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किए जाते है ।

10 **निर्धारित/एंडामेंट निधि**

चालू वर्ष 2011-12 के दौरान, क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस) गलियारों के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए अध्ययन हेतु शहरी विकास मंत्रालय से 8,35,61,969 रु0 (2010-11 के लिए 49,18,066 की अनुदान राशि सहित) अनुदान के रुप में प्राप्त हुए जिसे निर्धारित निधि शीर्ष के अंतर्गत अलग से दिखाया गया है । तदनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान इस प्रयोजन हेतु किए गए व्यय को इस निधि में प्रभारित किया गया है ताकि अनुदान के उपयोग को अलग से दर्शाया जा सके ।

11 **एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ**

(क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआर प्रकोष्ठ पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एनसीआर प्रकोष्ठ /राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एनसीआरपीबी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है । ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति ओर वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रुप दिए जाने के बाद इस बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर

प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किया गया है । 31.03.2011 तक देय एनसीआर प्रकोष्ठों संबंधी व्यय के लिए 5,27,71,250 रू0 का प्रावधान वर्ष 31.03.2012 को समाप्त वार्षिक लेखे के साथ संलग्न तुलन पत्र की अनुसूची-6 में दर्शाया गया है ।

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए :-

(i) हरियाणा प्रकोष्ठ को देय व्यय के लिए वर्ष 2008-09 में 50,18,500 रू0 और वर्ष 2009-10 के लिए 50,18,500 रू0 का प्रावधान किया गया था , पर इसकी तुलना में वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए क्रमशः 44,37,539 रू0 और 64,63,082 रू0 का वास्तविक भुगतान किया गया । अतः 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, प्रावधान से अधिक इस प्रकोष्ठ को दी गई 8,63,621 रू0 को वर्ष 2011-12 के लेखों के माध्यम से पारित किया गया ।

(ii) वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए दिल्ली प्रकोष्ठ को देय व्यय हेतु 48,58,750 रू0 (2006-07 में 1414925 रू0, 2007-08 में 14,34,925रू0 और 2008-09 में 20,08,900 रू0) का प्रावधान किया गया पर इसकी तुलना में वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए क्रमशः 27,62,174 रू0 (2006-07 में 9,20,023 रू0, 2007-08 में 8,60,645रू0 और 2008-09 में 9,81,506 रू0) का वास्तविक भुगतान किया गया । इस प्रकार 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय से अधिक निवल राशि का भुगतान किया गया जिसे वर्ष 2011-12 के दौरान बट्टे खाते में डाला गया ।

(iii) चालू वर्ष 2011-12 के लिए एनसीआर प्रकोष्ठ के लिए निम्नलिखित अनुसार 2,36,53,209 रू0 की व्यय राशि का प्रावधान किया गया और इसे आय-व्यय लेखा (योजना) राशि में प्रभारित किया गया है ।

राजस्थान	53,53,869.00 रू0
उत्तरप्रदेश	97,48,801.00 रू0
हरियाणा	74,94,033.00 रू0
दिल्ली	10,56,506.00 रू0
कुल	2,36,53,209.00 रू0

12 आय कर

(क) उपयुक्त आयकर प्राधिकरण यानी वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने अपने आदेश सं. डीजीआईटी छूट(ई)10(23सी) iV/2008 दिनांक 2.5.2008 के द्वारा एनसीआरपी बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 (1961का 43) की धारा 10 के खंड (23सी)के उपखंड(iV) के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से अनुमोदित कर दिया है। बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23सी)के उपखंड(iV) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है । इसे देखते हुए वर्ष 2011-12 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है । लेकिन वर्ष 2011-12 के लिए "स्रोत पर कर की कटौती नहीं" संबंधी अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पूर्व उधारकर्त्ता एंजेसियो/बैंकों ने वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर 2,07,10,219रु का टीडीएस काटा । तदनुसार, वर्ष 2011-12 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 6 में शीर्ष " अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशि " के तहत वर्ष 2011-12 के लिए स्रोत पर कर कटौती को स्रोत पर कर योग्य कटौती के रुप में दर्शाया गया है । इसके लिए दावा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर रिटर्न भरते समय आयकर विभाग से किया जाएगा ।

(ख) कर निर्धारण वर्ष 2000-04 से बोर्ड की आय पर दिनांक 02.05.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड(23 सी) के तहत छूट प्राप्त है । इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में वित्त वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया । वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2010-11 से संबंधित अग्रिम आय कर/ वसूली योग्य स्रोत पर आयकर कटौती (निवल का प्रावधान) की 12,01,97,499 रु0 की राशि 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड के तुलन पत्र में दर्शाई गई । वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2010-11 से संबंधित 5,44,72, 230 रु0 (33,24,594 रु0 की ब्याज राशि समेत) की वापसी हुई है । पूर्व उधारकर्त्ता एंजेसियो/बैंकों ने वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर 2,07,10,219रु का टीडीएस काटा । तदनुसार 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए आयकर विभाग से 8,97,60,082रु वसूल किए जाने हैं ।

13 **स्थापना व्यय (योजना) वेतन**

अनुसूची 12 में शीर्ष स्थापना व्यय (योजना) के अंतर्गत दर्शाए गए 27,86,764 रु0 बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से बोर्ड के 5 कर्मचारियों को दिए गए वेतन हैं । ये 5 पद 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाना है।तदनुसार बोर्ड ,बोर्ड के वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को आंतरिक जमा से कर रही है और उसे आय-व्यय (योजना) में अलग से दर्शाया जा रहा है ।

14 **रिडंशन रिजर्व बांड (बीआरआर) का सृजन**

बोर्ड ने फरवरी, 2008 में 07 वर्ष की अवधि के लिए 200 करोड रु0 के कर योग्य बांड प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर पूँजी बाजार से जुटाए । सांविधिक आवश्यकतानुसार इन्हें जुटाने से पूर्व बांडों का वित्तीय रुप से मूल्यांकन क्रिसिल तथा फिच रेटिंग ऐजेंसी से कराया गया । रेटिंग ऐजेंसी ने उल्लेख किया कि बोर्ड द्वारा बांड रिडम्शन रिजर्व इस प्रकार बनाया जाए कि परिपक्वता पर बांड रिडम्शन राशि में बराबर का रिजर्व रहे । इसके अलावा, बोर्ड ने बांड इसू के जरिए 900 करोड रु0 की अतिरिक्त राशि जुटाई है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड बंाड संबंधी अपनी देनदारियों को पूरा कर सके, वर्ष 2008-09 में बोर्ड ने बांड रिडम्शन रिजर्व सृजित किया और आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित कर आंतरिक जमा से इस बीआरआर में राशि अंतरित की जा रही है । वर्ष 2010-11 के लिए, आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित बीआर आर में 95,60,77,300 करोड रु0 की राशि (बीआरआर जमा पर अर्जित ब्याज सहित) अंतरित कर दी है । 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार, 2011-12 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची-।। के अनुसार बीआरआर में अब कुल 311.187 करोड रु0 है ।

15 एनसीआरपी बोर्ड ने 2010-11 में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए (कर योग्य) (एनसीआरपी बोर्ड) बांड सिरीज-।(2020) से 500 करोड रु0 जुटाए । सेबी के दिनांक 11मई, 2009 के परिपत्र सं. एसईबीआई/आईएमडी/बांड/1/2009/11/2005 के अनुसरण में यह बांड इसू के ट्रस्टी यानी कार्पोरेशन बैंक के पास सभी वर्तमान और भावी खाता ऋणों पर निगेटिव लिअन के द्वारा सुरक्षित हैं।

16 **बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार**

(क) **एशियन डवलपमेंट बैंक** एनसीआरपी बोर्ड ने एशियन डवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 17.03.2011 को 78 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण लेने हेतु सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । इस ऋण पर गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई हैं और गारंटी सहमति पत्र पर एशियन डवलपमेंट बैंक तथा भारत सरकार के बीच 17.03.2011 को हस्ताक्षर किए गए हैं । इस ऋण को 29 जून, 2011 से प्रभावी माना गया है । ऋण की अवधि 5 वर्ष की विलंबन अवधि समेत 15 वर्ष है । अर्द्ध वार्षिक ब्याज की दर एलआईबीओआर 6 महीनों से 20 आधार प्वाइंट अधिक है । इसके अलावा, एशियन डवलपमेंट

बैंक को 0.15 प्रतिशत प्रतिबद्धता शुल्क और भारत सरकार को 1.2 प्रतिशत सालाना गारंटी शुल्क देय है । तदनुसार प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में एडीबी को देय 9.80 लाख रु0 और भारत सरकार को गारंटी शुल्क के रूप में 476.89 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे आय-व्यय (योजना) में दिखाया गया है ।

ख. **केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेसी)** एनसीआरपी बोर्ड ने केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेसी) के साथ दिनांक 09.02.2012 को 100 मिलियन यूरो का ऋण +01 मिलियन यूरो का अनुदान लेने हेतु सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । इस ऋण पर गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है और गारंटी सहमति पत्र पर केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेसी)तथा भारत सरकार के बीच 09.02.2012 को हस्ताक्षर किए गए हैं । मुख्य ऋण की अदायगी के लिए ऋण की अवधि 5 वर्ष की विलंबन अवधि समेत 15 वर्ष है । यह ऋण 1.83 प्रतिशत सालाना की निर्धारित वार्षिक ब्या जदर पर है । इसके अलावा केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेसी) 0.25 प्रतिशत प्रतिबद्धता शुल्क और भारत सरकार को 1.2 प्रतिशत सालाना गारंटी शुल्क देय है । तदनुसार भारत सरकार को देय 815.40 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लेखा (योजना) के आय और व्यय के रूप में दर्शाया गया है । ऋण राशि पर 0.25 प्रतिशत प्रबंधन शुल्क यानी 250000 यूरो(1,65,86,875 रु0) की एकमुश्त राशि 9.3.2012 को यानी ऋण पत्र पर हस्ताक्षर के 30 दिन बाद केएफडब्लयू को भुगतान की गई । यह प्रबंधन शुल्क ऋण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर ऋण की पहली किस्त प्रदान किए जाने की स्थिति में केएफडब्लयू द्वारा एनसीआरपी बोर्ड को वापस कर दिया जाएगा । तदनुसार 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 250000 यूरो की विनिमय दर में अंतर यानी 4,20,625 रु0 की धनराशि को आय-व्यय लेखा (योजना) में दर्शाया गया है ।

17 वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों की सूची 9 में दर्शाए अनुसार ,31.03.2012 की स्थिति के अनुसार राज्स सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋणों/अग्रिमों के रूप में 28,74,80,68,786 रु0 का बकाया, एनसीआरपी बोर्ड की संबंधित उधारकर्त्ता एजेंसियों से बकाया की पुष्टि के अध्यधीन है ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव